न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1480/विधि सहरसा, दिनांक 22-5-2023

प्रतिलिपि :- (1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-143/2022 में दिनांक-19.05.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- श्रीमती इन्दू देवी, पति-ब्रह्मदेव यादव, सा0-नौला, वार्ड नं0-01, पंचातय-नौला प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से...तक

जिला..., सं0..., सन् १९...

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किरा तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
19/05/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः-143/2022** **इन्दु देवी.............................अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** राज्य................. रेसपॉण्डेन्ट **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद इन्दु देवी, पति-ब्रहम्देव यादव, सा0-नौला, वार्ड नं0-01, पंचायत-नौला, प्रखंड-नवहट्टा, जिला-सहरसा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1574-1/ आई0सी0डी0एस0 दिनांक 07.11.2022 के विरुद्ध लाया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी इन्दु देवी को केन्द्र संचालन में अनियमितता करने एवं गलत तरीके से जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत करने, अनुशासनहीनता, लापरवाह एवं गैर जिम्मेदार सेविका होने आदि आरोपों के आधार पर आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-89 बाल विकास परियोजना, नवहट्टा के सेविका के पद से चयनमुक्त किया गया है। समाज कल्याण विभाग की अद्यतन मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने के कारण नामांकन के स्तर पर ही खारिज किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	